

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 11(1)मंमं/2015

जयपुर, दिनांक: 15-01-2015

--:-- आज्ञा --:--

श्री ओंकार सिंह लखावत, अध्यक्ष, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री ओंकार सिंह लखावत को राज्य मंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प0 11(1)मंमं/99 दिनांक 30.11.2012 द्वारा प्रदत्त सुविधायें देय होंगी । यह सुविधायें श्री ओंकार सिंह लखावत को उनके कार्य ग्रहण की तिथि से देय होंगी ।

श्री ओंकार सिंह लखावत, अध्यक्ष, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग, यथा कला, साहित्य एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा वहन किया जावेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजीत कुमार सिंह)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, कला, साहित्य एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(हरी बाबू शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री ।
3. अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
4. मुख्य सचिव, राज0, जयपुर ।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिव ।
7. मुख्य सचिव निर्वाचन अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव, निर्वाचन विभाग ।
8. सचिव, राज्य निर्वाचन अधिकारी ।
9. समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निगम/बोर्ड ।
10. अध्यक्ष, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर ।
11. प्रधान महालेखाकार, राज0, जयपुर ।
12. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर ।
13. समस्त विभागाध्यक्ष ।
14. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रिमण्डल/राज्यमंत्रीगण ।
15. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग ।
16. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ ।
17. निदेशक, सूचना एवं जगसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
18. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर ।
19. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
20. शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को अलग से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर ।

वरिष्ठ शासन उप सचिव